संख्या- 67 / 2017 / 741 /चार-2017 -135 (वि0)/2005 टीसी

प्रेषक,

मनोज मिश्र
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 मई, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्धारा रोड, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निमार्ण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या- 240/सं0नि0-20(18)/2006-07 दिनांक 05 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्धारा रोड, पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निमार्ण हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0 1333.43 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 1534/चार-2014 -135(वि)/2005 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 द्वारा रू0 193.57 लाख, शासनादेश संख्या- 24/996/चार-2015-135(वि)/2005 टीसी दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा रू0 50.00 लाख, शासनादेश संख्या- 83/3739/चार-2015-135(वि)/2005 टीसी दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या- 28/2016/4153/चार-2015-135(वि)/2005 टीसी दिनांक 15 फरवरी 2016 को संशोधित करते हुए शासनादेश संख्या- 41/2016/266/चार-2016-135(वि)/2005 टीसी दिनांक 29 फरवरी 2016 द्वारा रू0 150.00 लाख , शासनादेश संख्या- 551/2016/290/चार-2016-135(वि)/2005 टीसी, दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा रू0 456.15 लाख , शासनादेश संख्या- 156/2016/1783/चार-2016-135(वि)/2005 टीसी दिनांक 07 अक्टूबर 2016 द्वारा रू0 125.00 लाख , शासनादेश संख्या- 10/2017/1480/चार-2016-135(वि)/2005 टीसी दिनांक 06 जनवरी, 2017 द्वारा रू0 126.00 लाख कुल रू0 1200.72 लाख संस्कृति विभाग द्वारा तथा नगर निगम लखनऊ द्वारा रू0 33.75 लाख अर्थात दोनों को मिलाकर कुल धनराशि रू0 1234.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बीस-1-02/दस-2017-231/2017 , दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देश के प्रस्तर-2 के उपबन्ध-20 के अनुसार मूल्यांकित लागत रू0 1333.43 लाख में से 05 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 66.00 लाख को मॉगी जा रही अवशेष धनराशि रू0 98.96 लाख (रू0 98.96 लाख -66.00 लाख अर्थात रू0 32.96 लाख) में से घटाते हुए रू0 32.96 लाख (रूपये बत्तीस लाख छियानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिसमें जमा नहीं की जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 जनवरी, 2017 में पैरा-2 (20) के अनुसार बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जायेगी तथा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- शासनादेश संख्या-156 /2016/1783/चार-2016-135(वि0)/2005 टीसी दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

5- पुनरीक्षित प्रायोजना में नये कला केन्द्र के अन्तर्गत स्टेज लाइटिंग,साउण्ड सिस्टम , स्टेज कर्टेनसिस्टम, फर्नीचर, किचन फनीर्शिग, आडीटोरियम बेंच, चेयर तथा पुरानी बिल्डिंग के रेनोवेशन कार्य के अन्तर्गत फर्नीचर,वाटर प्यूरीफायर कम चिलर,स्टेज कार्टेन,आर0ओ0 वाटर कूलर की आवश्यकता,औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत हेतु प्रमुख सचिव/सचिव,संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

6 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -30- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

7 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज मिश्र)
सचिव।

संख्या - / 2017 / 741 (1)/चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- नगर आयुक्त , नगर निगम लखनऊ।
4 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6 -प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
7 - सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री।
10 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/